

सम्बद्धता हेतु विस्तृत विज्ञप्ति एवं कैलेण्डर (2022-23)

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / सीआईएससीई, नई दिल्ली से सम्बद्धता अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) सत्र 2022-23 जारी किये जाने हेतु गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं से प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन अग्रांकित टाईम फ्रेम के अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं:-

विज्ञप्ति टाईम-फ्रेम			
क्र.सं.	विवरण	निर्धारित समयावधि	संबंधित कार्यालय
1.	निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति जारी करना	15.01.2022	निदेशालय
2.	विद्यालय/संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन शुल्क जमा कर आवेदन पत्र एवं पत्रावली में संलग्न आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करने हेतु (सामान्य शुल्क के साथ) अन्तिम तिथि	15.01.2022 से 05.02.2022 तक	संबंधित संस्था / विद्यालय
3.	विद्यालय/संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन शुल्क जमा कर आवेदन पत्र एवं पत्रावली में संलग्न आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करने हेतु (विलम्ब शुल्क के साथ) अन्तिम तिथि	6.02.2022 से 10.02.2022 तक	संबंधित संस्था / विद्यालय
4.	निरीक्षण दल का ऑटो जनरेटेड गठन	संबंधित संस्था द्वारा आवेदन को लॉक किये जाने के साथ ही	एनआईसी एवं जिशिअ कार्यालय
5.	ऑनलाईन आटो जनरेटेड निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण करना।	दल गठन के 05 दिवस के भीतर	निरीक्षण दल प्रभारी / संबंधित संस्था
6.	निरीक्षण दल द्वारा संबंधित संस्था से डी.डी प्राप्त करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करना एवं निरीक्षण प्रतिवेदन मय आवेदन पत्र पत्रावली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को जमा करवाना	निरीक्षण के 02 दिवस के भीतर	निरीक्षण दल प्रभारी
7.	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) द्वारा संबंधित विद्यालय के आवेदन पत्र की संवीक्षा हेतु अभिशंषा कमेटी का गठन किया जाकर परीक्षण करना यदि कोई आक्षेप हो तो ऑनलाईन आक्षेप 03 दिवस के भीतर लगाकर आक्षेप पूर्ति उपरान्त 02 दिवस के भीतर अपनी अभिशंषा मय टिप्पणी निदेशालय को अग्रेषित करना	प्रकरण कार्यालय में प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर	संबंधित जिशिअ

8.	नियमानुसार आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सहित मूल पत्रावली स्पष्ट अभिशंषा एवं टिप्पणी कर निदेशालय बीकानेर को भिजवाने हेतु अंतिम तिथि	25.02.2022	संबंधित जिशिअ
9.	प्राप्त प्रकरण का परीक्षण कर यदि कोई आक्षेप हो तो आक्षेप लगाकर ऑफलाईन आक्षेप पूर्ति की अवधि उपरान्त निदेशालय द्वारा प्रस्ताव अपनी टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भिजवाना	प्रकरण प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर	निदेशालय
9.	निदेशालय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों की एनओसी. हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन जारी करना	05.03.2022 तक	शासन
10.	राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन पश्चात् निर्धारित राशि एवं शिथिलन शुल्क का डी.डी सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के नाम से 03 दिवस में निदेशालय को जमा करवाने हेतु ऑनलाईन विद्यालय के लॉगईन में मैसेज प्रदर्शित करना।	10.03.2022 तक	निदेशालय
11.	निदेशालय द्वारा शासन स्तर से अनुमोदित प्रस्तावों की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर संबंधित विद्यालय को आदेश की प्रति अपलोड कर विद्यालय के लॉगईन में प्रदर्शित करना।	15.03.2022 तक	निदेशालय

विस्तृत विज्ञप्ति शुल्क विवरण एवं दिशा-निर्देश आदि **प्राइवेट स्कूल पोर्टल (पीएसपी)** (<https://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/Home.aspx>)
विभागीयवेबसाईट:-(<https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondaryeducation/en/order/PSP.html>) पर उपलब्ध है।

संबद्धता शुल्क विवरण

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई./नई दिल्ली हेतु 2022-23 में संबद्धता हेतु शुल्क विवरण:-

आवेदन शुल्क मय शिथिलन शुल्क (आवेदन में शिथिलन के प्रकरणों में आवेदन शुल्क के साथ शिथिलन शुल्क/विलम्ब शुल्क जैसी भी स्थिति हो, अनिवार्य रूप से देय होगा)					
क्र. स.	विद्यालय में कक्षा संचालन स्तर		सामान्य शुल्क	विलम्ब शुल्क	एनओसी शुल्क
			शुल्क	शुल्क	शुल्क
1.	अ	आवेदन शुल्क-उ.प्रा.वि.	25000	100000	60000
	ब	आवेदन शुल्क-मा.वि/उ.मा.वि. हेतु	30000	125000	75000 एनओसी हेतु बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाने पर प्रति 15 दिवस पर विलम्ब शुल्क-10000
शिथिलन शुल्क					
शिथिलन शुल्क विवरण				शुल्क	
नोट:-विद्यालय को एनओसी प्राप्त किये जाने हेतु आवेदित स्तर तक न्यूनतम तीन शैक्षिक सत्र में कक्षाएं संचालित किये जाने का अनुभव आवश्यक है।					-
2	अ	विद्यालय को 01 शैक्षिक सत्र का शिथिलन शुल्क देय होगा। (दो सत्र का विद्यालय संचालन का अनुभव होने की स्थिति में)			35000
	ब	विद्यालय को 02 शैक्षिक सत्र का शिथिलन शुल्क देय होगा (एक सत्र का विद्यालय संचालन का अनुभव होने की स्थिति में)			55000
	स	मान्यता प्राप्त सत्र से ही एनओसी हेतु आवेदन करने की स्थिति में विद्यालय संचालन का अनुभव शून्य होने पर विद्यालय को 03 शैक्षिक सत्र का शिथिलन शुल्क देय होगा।			75000

सम्बद्धता अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्र 2022-23 हेतु शपथ पत्र

मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय की पंजीकृत संस्था के सचिव/अध्यक्ष को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किए जाने वाले शपथपत्र प्रारूप -

-: शपथ पत्र :-

मनके पुत्र/पुत्री श्री..... जाति उम्र स्थायी निवासी.....
.....(पूर्ण पता लिखें) फोन न.शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि :-

- i) विद्यालय द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 और समय-समय पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जायेगी तथा स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभायी जायेगी।
- ii) राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016, नियम 2017 की अक्षरक्ष: पालना की जावेगी।
- iii) समय-समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों की अक्षरक्ष: पालना की जावेगी।
- iv) संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अक्षरक्ष: पालना वर्तमान में की जा रही है तथा इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश दिया गया है और इन से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस अधिनियम की अक्षरक्ष: पालना की जायेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत गत दो वर्षों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा राज्य सरकार द्वारा पुर्नभरण की गई राशि का विवरण भी शपथ पत्र में दिया जाना आवश्यक है जिसका प्रारूप निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	सत्र	कक्षा कक्षा की क्षमता	कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या	आरटीई. के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों की संख्या	संबंधित जिशिअ द्वारा सत्यापित छात्र संख्या	राज्य सरकार द्वारा प्रति छात्र पुनर्भरण की देय राशि	कुल पुनर्भरण की प्राप्त राशि

- v) विभाग द्वारा जारी मान्यता/क्रमोन्नति के कक्षा स्तरो तक ही सम्बद्धता हेतु आवेदन कर सम्बद्धता प्राप्त की जावेगी।
- vi) विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड/सीआईएससीई. से सम्बद्धता मिलने पर अजमेर बोर्ड से मान्यता समाप्त करवा ली जायेगी।
- vii) विद्यालय परिसर में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं है तथा न ही भविष्य में लगाया जायेगा।
- viii) विद्यालय में पूर्ण क्षमता व गुणवत्ता का अग्नि शमन यंत्र लगा हुआ है तथा कार्यशील अवस्था में है एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ संस्था में उपलब्ध है।
- ix) विद्यालय परिसर के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत तार नहीं गुजरते हैं।
- x) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में रेम्प निर्धारित मापदण्ड 1:10 मीटर में बना हुआ है।
- xi) कार्यरत समस्त स्टाफ निर्धारित योग्यता एवं मानदण्डानुसार नियोजित है।
- xii) कार्यरत समस्त स्टाफ को प्रतिमाह नियमित रूप से वेतन भत्तों/मानदेय इत्यादि का भुगतान जरिए बैंक खाता किया जाता है।
- xiii) सचिव, सीबीएससी के परिपत्र क्रमांक CBSE/AFF-BYELAWS/Circular No.03/2019/144946 दिनांक 30.01.2019 में वर्णित सभी बिन्दुओं की पालना की गई है।
- xiv) विद्यालय द्वारा "Rehabilitation of Persons with disabilities Act 2016" की पूर्ण पालना की जावेगी।
- xv) विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है /नहीं..... (कार्यवाही की प्रति सलग्न)।
- xvi) विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है/ नहीं..... (निर्णयादेश/दण्डादेश की प्रति सलग्न)।
- xvii) भूमि रूपान्तरण के क्रम में शासन के पत्रांक प.9(1)शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 एवं 25.11.2020 के अनुसार पालना की गई है। भूमि संस्था के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/निकाय द्वारा रूपान्तरित है। भूमि रूपान्तरण/नियमितिकरण नहीं होने की दशा में एनओसी के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जावे। विद्यालय द्वारा उक्त पालना नहीं करने पर अथवा भागीदारी नहीं निभाने पर शिक्षा विभाग राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के तहत विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मान्यता समाप्त करने/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रत्याहरित करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके विरुद्ध संस्था द्वारा शिक्षा विभाग के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जायेगा। उक्त शपथ पत्र के बिन्दु संख्या (i) से (xi) तक वर्णित सूचना एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। इसमें कोई तथ्य छुपाया, घटाया एवं बढ़ाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य गलत/मिथ्या पाया जाता है तो विभाग विद्यालय/संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा

हस्ताक्षर
शपथगृहिता (सचिव संस्था)

सम्बद्धता 2022-23 हेतु दिशा-निर्देश

1. विभाग द्वारा जारी मान्यता/क्रमोन्नति के कक्षा स्तरो तक ही सम्बद्धता हेतु आवेदन किया जायेगा।
2. विभाग द्वारा जारी अद्यतन मान्यता/क्रमोन्नति के कक्षा स्तरों तक की सम्बद्धता हेतु एनओसी जारी की जायेगी।
3. सम्बद्धता हेतु राजकीय विद्यालयों की क्रमोन्नति के अनुसार माध्यमिक (जहां कक्षा 9 सत्र 2021-22 से अथवा पूर्व से कक्षा 9 एवं 10 संचालित हो रही हो)/उच्च माध्यमिक (जहां कक्षा 11 सत्र 2021-22 से अथवा पूर्व से कक्षा 11 एवं 12 संचालित हो रही हो) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय (जहाँ कक्षा 6 - सत्र 2020-21 अथवा कक्षा 6, 7 एवं 8 पूर्व से संचालित हो रही हो) को ही सम्बद्धता के लिये पात्र माना जाएगा।
4. जिन विद्यालयों को सत्र 2021-22 हेतु कक्षा 9, कक्षा 11, कक्षा 6 संचालन की अनुमति प्रदान की गई है एवं उनके द्वारा कक्षा 9 के साथ 10, कक्षा 11 के साथ 12, कक्षा 6 के साथ 7/8 की एनओसी हेतु आवेदन किया जाता है तो, ऐसी स्थिति में संस्थाओं को सम्बद्धता सत्र 2022-23 हेतु कक्षा 9,11,06 हेतु ही एनओसी प्रभावी होगी। ऐसे विद्यालयों को सत्र 2023-24 हेतु स्वतः ही कक्षा-7,10,12 एवं सत्र 2024-25 हेतु कक्षा-8 हेतु एनओसी प्रभावी होगी। (विभाग द्वारा प्रदत्त मान्यता/क्रमोन्नति के आदेशानुसार)
5. **शुल्क विवरण में अंकित आवेदन शुल्क/विलम्ब आवेदन शुल्क/शिथिलन शुल्क/एनओसी शुल्क एवं शास्ति शुल्क बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में जमा करवाया जाना है**
6. सीबीएसई सम्बद्धता चाहने वाली संस्था को ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ साथ अपेडिक्स-2 (सम्बद्धता हेतु) एवं अपेडिक्स-3(सम्बद्धता नवीनीकरण हेतु) (सीबीएसई से प्राप्त नवीन परिपत्र सीबीएसई/एफी/आर-बीएल/2019/1442050 दिनांक 08.01.19 के संलग्न) भरे जाने अनिवार्य है।
7. शासन से अनुमोदन उपरान्त सम्बन्धित संस्था को पोर्टल के माध्यम से प्रकरण का अनुमोदन होने एवं बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राशि जमा करवाने हेतु संदेश प्रेषित किये जाने हेतु पोर्टल पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाने पर उक्त अवधि उपरान्त प्रति 15 दिवस पर 10000 रुपये की शास्ति के माध्यम से निदेशालय पीएसपी अनुभाग में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
8. आवेदन शुल्क/विलम्ब शुल्क/शिथिलन शुल्क एवं एनओसी शुल्क आदि की राशि अदेय रहेगी।
9. सीबीएसई एनओसी जारी करने के संबंध में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं से भू-रूपान्तरण एवं पंजीकृत किरायेनामे के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 25.11.2020 के बिन्दु संख्या 02 में प्रदत्त निर्देश को संबद्धता हेतु एनओसी के प्रकरणों पर भी प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है। एनओसी जारी करने के संबंध में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूरूपान्तरण के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 04.01.2017 में प्रदत्त स्पष्टीकरण का अनुसरण किया जाए। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूरूपान्तरण नहीं होने की दशा में तथा गैर सरकारी संस्थाओं को भूमि व भवन किराए का होने की स्थिति में रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर एनओसी. का आवेदन खारिज कर दिया जायेगा।
10. जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशालय स्तर पर जांच में आक्षेप पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था/विद्यालय को आक्षेप पूर्ति हेतु 3 दिवस का समय दिया जाकर सम्बन्धित आक्षेप की पूर्ति ऑनलाईन किए जाने हेतु अवसर प्रदान किया जावेगा। आक्षेप पूर्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड दस्तावेज संस्था सचिव द्वारा हस्ताक्षर पदनाम मोहर के साथ प्रमाणित कर अपलोड किए जाने पर ही मान्य होंगे। निर्धारित समयावधि में आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने पर प्रकरण ऑटोलॉक होकर संबंधित कार्यालय के लॉगिन में प्रदर्शित होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

संलग्न-दस्तावेज सूची

1. संस्था के पंजीयन आदेश एवं विधान की प्रति
2. विद्यालय प्रबन्ध समिति की रजिस्टर्ड कार्यकारिणी की नवीनतम प्रति (जो 2 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो)
3. विद्यालय की मान्यता, क्रमोन्नति एवं सम्बद्धता आदेश की प्रति
4. विद्यालय परिसर एवं निर्मित कक्षा-कक्षों आदि का माप दर्शित करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लूप्रिंट
5. विद्यालय भवन के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
6. राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी द्वारा फीस निर्धारण बाबत जारी आदेश की प्रति
7. विद्यालय भवन के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज/रजिस्टर्ड किरायानामा/रजिस्टर्ड लीजडीड की प्रति (विद्यालय की भूमि के माप के अनुसार) खेल मैदान सहित
8. विद्यालय भूमि के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ/संस्थानिक संपरिवर्तन के दस्तावेज
9. नियोजित स्टॉफ का संस्थापन विवरण मय शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता, पद एवं नियोजन तिथि
10. अपेडिक्स 2 एवं 3
11. कुल कक्ष कक्षों का माप सहित विवरण
12. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
13. आरक्षित कोष पेटे जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था के संयुक्त नाम से राष्ट्रीकृत बैंक में निर्धारित राशि की एफडीआर
14. संस्था की गत 03 वर्ष की सी.ए. द्वारा प्रदत्त ऑडिट रिपोर्ट
15. संस्था कार्यकारिणी द्वारा आवेदन के क्रम में पारित प्रस्ताव की प्रति
16. विद्यालय में मोबाईल टावर एवं हाईटेंशन विद्युत लाईन नहीं होने का प्रमाण पत्र
17. अग्निशमन यंत्र/रैम्प होने का प्रमाण पत्र
18. अन्य वांछित /आवश्यक दस्तावेज